

कमिश्नर वाणिज्य कर, उर प्रदेश

उपस्थित श्रीमती सेल्वा कुमारी जे0, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उर प्रदेश ।  
प्रार्थी सर्वश्री जुबिलेन्ट फ्रेश प्रा0 लि0, 1-ए, सेक्टर-16ए, नोएडा ।  
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक 002 / 13, 29.01.2013  
प्रार्थी की ओर से श्री एस0 के0 सुरेका, अधिकृत प्रतिनिधि ।

उर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी-सर्वश्री जुबिलेन्ट फ्रेश प्रा0 लि0, 1-ए, सेक्टर-16ए, नोएडा द्वारा उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निम्न प्रश्न पूछे गये :-

(a) Whether the Vegetables subjected to the activities described above including cutting, sanitizing, packing etc. would be covered under Schedule I or II of the Act.

(b) Whether Vegetables / Paneer subjected to the activities described above including cutting, packing etc. would be treated as re-sale / sale after processing not amounting to manufacture.

(c) Whether the Uncooked Pasta subjected to the activities described above including boiling, cooling, etc. would be covered under definition of manufacture under Section 2 (t) of the Act.

(d) Whether VAT Credit would be available for the Capital Goods such as refrigerated vans, air conditioners etc. used for the above activities (as described above) Vegetables / Paneer / Pasta under the following:

(i) main part of the definition of Capital goods i.e. as processing not amounting to manufacture; or

(ii) the inclusive part of the definition of Capital goods i.e. as manufacture.

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी-श्री एस0 के0 सुरेका, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि प्रार्थी द्वारा Fresh Vegetables यथा-Onion, Tomato, Mushroom, Capsicum, carrots or other vegetables को खरीदने के उपरान्त धोकर, साफकर सब्जी में काम न आने वाले भाग को निकाल कर, काटकर, slicing करके, पैक करने के उपरान्त, वातानुकूलित वातावरण में कूल करके, refrigerated vans में ले जा करके, आपूर्ति की जायेगी, इसमें कोई प्रिजरवेटिव नहीं मिलाया जायेगा । इसी प्रकार से पनीर बाजार से खरीदकर, धुल करके, साफ करके, उसे छोटा-छोटा काटने के उपरान्त, उसमें काली मिर्च मसाला डालकर, पैक करके, ठण्डा करने के उपरान्त refrigerated vans में ट्रान्सपोर्ट करते हुए बिक्री की जायेगी । vegetables तथा पनीर की उक्त processing, manufacturing नहीं है, क्योंकि C.P. Upadhyay vs. CST, U.P., 2004 137 STC 587 इलाहाबाद हाईकोर्ट के मामले में यह निर्णय किया गया है कि brick से तोड़ी गयी gitti, new commodity न बनने के कारण manufacturing नहीं है । State of Maharashtra vs. Mahalaxmi Stores, 2003 129 STC 79 के मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

सर्वश्री जुबिलेन्ट प्रेश प्रा0 लि0 / प्रा0पत्र सं0-002 / 13 / धारा-59 / पृष्ठ-2

यह निर्णय किया गया है कि boulders को छोटे साइज में तोड़ने में “ new commodity ” नहीं बनती है, इसलिए manufacturing नहीं है। इसी प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालय के अनेक न्यायिक निर्णयों में इस प्रकार की processing को, manufacturing नहीं माना गया है। vegetables and Paneer को, उक्त प्रकार से कटिंग करके, पैक करते हुए ठण्डा करके बेचने से “ new commercial commodity ” नहीं बनती है। अतः निर्मित उत्पाद पर Fresh Vegetables की भाँति उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-19 के अनुसार करमुक्ति रहनी चाहिए न कि उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-103 के अनुसार “ Processed or preserved vegetable, ” की भाँति 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए। Mushroom के सम्बन्ध में उक्त प्रकार से प्रसंस्करण के उपरान्त निर्मित उत्पाद पर, उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-116 के अनुसार “ Processed or preserved mushroom ” की भाँति 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता नहीं होनी चाहिए। Paneer, कटिंग के उपरान्त पनीर ही रहता है। अतः इस पर भी उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-81 के अनुसार 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए। Pasta को उबालकर उसमें नमक व ऑयल मिलाकर ठण्डे पानी से धोते हुए purified करने के उपरान्त पैक करते हुए refrigerated vans में सप्लाई किया जायेगा। उसको उबालने, ऑयल और नमक मिलाने के उपरान्त “ new commercial commodity ” बन जाती है, इसलिए इस पर उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए। यह भी कहा गया कि उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-2 (t) में विनिर्माण को परिभाषित किया गया है। विनिर्माण की परिभाषा में processing भी सम्मिलित है। इस प्रसंस्करण में प्रयुक्त, प्लान्ट / मशीनरी, air conditioner, refrigerated vans धारा-13 के प्रयोजनार्थ Capital Goods की श्रेणी में आना चाहिए। अन्त में तदनुसार प्रार्थना-पत्र निस्तारित करने का अनुरोध किया गया।

3. एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, नोएडा जोन नोएडा के पत्र संख्या-69, दिनांक 18.04.2013 से प्राप्त आख्या में यह कहा गया है कि प्रसंस्करण की प्रक्रिया से स्वतः स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार की vegetables को खरीदकर उनको वातानुकूलित प्रक्रिया के अन्तर्गत विभिन्न साइज में काटा जाता है, रस, गुदा तथा बीज निकालने के उपरान्त vegetables को खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से सेनीटाइज करते हुए, रसायनों से उपचारित करके वातानुकूलित वाहनों में क्रय केन्द्रों पर प्रेषित किया जाता है। इस प्रक्रिया से निर्मित उत्पाद, उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की किसी अनुसूची में नहीं आते हैं। अतः इस पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेयता है। वर्णित प्रक्रिया से यह भी स्पष्ट है कि निर्मित vegetable paneer व pasta, निर्माण की श्रेणी में ही आते हैं, क्योंकि दर्शायी गयी प्रक्रिया के अनुसार निर्माण के फलस्वरूप व्यवसायिक रूप से भिन्न वस्तु का उत्पादन हो जाता है। pasta के प्रसंस्करण के उपरान्त निर्मित उत्पाद उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-2 (t) के अधीन निर्माण की श्रेणी में आता है। यह भी कहा गया कि वातानुकूलन संयन्त्र और प्रसीतत्र वाहन उार प्रदेश

सर्वश्री जुबिलेन्ट प्रेश प्रा0 लि0 / प्रा0पत्र सं0-002 / 13 / धारा-59 / पृष्ठ-3

वैट अधिनियम, 2008 की धारा-2 (t) के अन्तर्गत Capital Goods की श्रेणी में शामिल होंगे ।

4. प्रस्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि Fresh Vegetables को खरीदकर, धोकर, सेनीटाइज करते हुए, रस, गुदा आदि को निकालकर, पैक करते हुए, निर्धारित temperature पर ठण्डा करने के उपरान्त refrigerated vans में आपूर्ति करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रसंस्करण की प्रक्रिया में निर्मित उत्पाद “ new commercial commodity ” बन जाता है और पेरीसेबुल गुड्स नहीं रह जाता है । अतः निर्मित उत्पाद “ new commercial commodity ” है और उत्पादन में प्रयुक्त प्रसंस्करण की प्रक्रिया निर्माण की श्रेणी के अन्तर्गत आती है । निर्मित उत्पाद उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-103 के अनुसार Processed or preserved vegetable के अन्तर्गत 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए । Mushroom की उक्त प्रकार से प्रसंस्करण के उपरान्त “निर्मित उत्पाद” उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-116 के अनुसार “ Processed or preserved mushroom ” के अन्तर्गत 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए । Pasta के लिए जो प्रक्रिया बतायी गयी है, उसके अनुसार पास्ता को गर्म पानी में उबालकर, साल्ट और ऑयल मिलाते हुए ठण्डा करने के उपरान्त purified ट्रीटमेन्ट करते हुए जो उत्पादन किया जायेगा, यह प्रक्रिया भी निर्माण की प्रक्रिया है और “ निर्मित उत्पाद, ” उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है । अतः इस पर उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए । जहाँ तक पनीर को काटकर उसमें कालीमिर्च मसाला मिलाकर ठण्डा करके, बिक्री करने का प्रश्न है, इस प्रक्रिया में पनीर “ new commercial commodity ” नहीं बनता है और पनीर ही रहता है । अतः इस पर उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-81 के अनुसार 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए ।

उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-2 (f) में Capital Goods को परिभाषित किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि :-

“ पूँजी माल ” का तात्पर्य व्यवहारी द्वारा विक्रय के लिए किसी माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयुक्त किसी संयंत्र, मशीन, मशीनरी, उपस्करों, यंत्रों, औजारों, साधनों या विद्युत व्यवस्थापन से है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

- (एक) ऐसे संयंत्र, मशीन, मशीनरी, उपस्कर, साधित्र, उपकण, साधन या विद्युत व्यवस्थापन के घटक, अतिरिक्त पुर्जे और ऐसे उपसाधन;
- (दो) माउल्ड और डाइज;
- (तीन) भण्डारण टंकी;
- (चार) प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर;
- (पाँच) दुर्गलनीय और दुर्गलनीय सामग्रियाँ;

सर्वश्री जुबिलेन्ट प्रेश प्रा0 लि0 / प्रा0पत्र सं0-002 / 13 / धारा-59 / पृष्ठ-4

- (छः) ट्यूब और पाइप और उसकी फिटिंग;  
(सात) प्रयोगशाला उपस्कर, उपकरण और उपसाधन;  
(आठ) कारखाना परिसर के भीतर माल उठाने या उसका संचालन करने हेतु मशीनरी, लोडर एवं उपस्कर;  
या  
(नौ) उसके द्वारा विक्रय के लिए माल के विनिर्माण में प्रयुक्त जेनरेटर और ब्वायलर किन्तु इस अधिनियम की धारा-13 के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं :  
(एक) वातानुकूलन इकाइयों या वातानुकूलक, प्रशीतक, वायुशीतलक, पंखे और वात संचारक यदि विनिर्माण प्रक्रिया से सम्बन्धित न हों;  
(दो) वाणिज्यिक यानों तथा दुपहिया या तिपहिया वाहनों सहित कोई स्वचालित वाहन और पुर्जे, घटक एवं उपसाधन तथा उनकी मरम्मत और अनुरक्षण;  
(तीन) कारबार में क्रय किये गये और लेखा रखे गये किन्तु कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ उपयोग किये गए माल;  
(चार) माल या यात्रियों या दोनों के परिवहन के लिए प्रयुक्त यान;  
(पाँच) किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त पूँजी माल; और  
(छः) (निकाला गया)

उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा Processing Vegetable व Pasta के निर्माण में प्रयुक्त प्लान्ट / मशीनरी, Capital Goods की श्रेणी में धारा-13 के प्रयोजनार्थ आना चाहिए। प्रश्नगत मामले में वातानुकूलक का प्रयोग भी सीधे निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ा है, अतः यह Capital Goods की श्रेणी में धारा-13 के प्रयोजनार्थ आना चाहिए। refrigerated vans का सम्बन्ध निर्माण प्रक्रिया से जुड़ा नहीं है अतः यह धारा-13 के प्रयोजनार्थ Capital Goods की श्रेणी में नहीं आना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, नोएडा जोन नोएडा द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रसंस्करण की प्रक्रिया में Fresh Vegetables यथा-Onion, Tomato, Mushroom, Capsicum, carrots or other vegetables को धोकर, साफकर रस, गुदा तथा बीज निकालने के उपरान्त खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से सेनीटाइज करते हुए रसायनों से उपचारित करके, विभिन्न साइजों में काटकर, पैक करके, निर्धारित temperature पर ठण्डा करने, के उपरान्त वातानुकूल वाहनों से क्रय केन्द्रों पर आपूर्ति की जायेगी। इसी प्रकार से Mushroom को भी उक्त तरह से प्रसंस्करित करते हुए निर्मित उत्पाद को क्रय केन्द्रों तक प्रेषित किया जायेगा। Paneer को धोकर, काटकर उसमें कालीमिर्च मसाला मिलाकर ठण्डा करते हुए आपूर्ति की जायेगी। Pasta boiled करके उसमें salt और oil मिलाते हुए ठण्डा करने के उपरान्त आपूर्ति की जायेगी।

उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-2 (t) में विनिर्माण को परिभाषित किया गया है। उक्त परिभाषा के अन्तर्गत प्रसंस्करण (Processing) को भी निर्माण की श्रेणी में माना गया है। यदि प्रसंस्करण के

सर्वश्री जुबिलेन्ट प्रेश प्रा0 लि0 / प्रा0पत्र सं0-002 / 13 / धारा-59 / पृष्ठ-5

उपरान्त “new commercial commodity” बन जाती है तो ऐसी Processing विनिर्माण मानी जाती है। प्रार्थी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय / उच्च न्यायालय के जिन न्यायिक निर्णयों का हवाला दिया गया है उनके अवलोकन से स्पष्ट है कि उनमें “ new commercial commodity ” न बनने के कारण Processing को विनिर्माण नहीं माना गया है। प्रार्थी के मामले में Vegetables तथा Mushroom का जो प्रसंस्करण करने के उपरान्त “ निर्मित उत्पाद ” आपूर्ति किया जायेगा, वह पेरीसेबुल गुड्स नहीं रह जाता है और “ new commercial commodity ” बन जाती है। अतः यह निर्मित उत्पाद क्रमशः Processed or preserved vegetable और Processed or preserved mushroom है। इन पर क्रमशः उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-103 के अनुसार 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता एवं उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-116 के अनुसार 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता बनती है।

Paneer के सम्बन्ध में जो प्रसंस्करण किया जा रहा है वह निर्माण की प्रक्रिया में नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया में “ new commercial commodity ” नहीं बनती है और पनीर, पनीर ही रहता है, इसलिए इस पर उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-81 के अनुसार करदेयता रहेगी।

Pasta से सम्बन्धित निर्मित उत्पाद के सम्बन्ध में जो प्रसंस्करण की प्रक्रिया की जाती है वह निर्माण की श्रेणी के अन्तर्गत आती है, क्योंकि इनसे निर्मित उत्पाद भी “ new commercial commodity ” बन जाता है। अतः निर्मित उत्पाद, उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की किसी अनुसूची में न होने के कारण, अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

निर्माण की प्रक्रिया में उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-2 (f) के अनुसार Capital Goods की श्रेणी में वही वस्तुएं आयेंगी जो निर्माण में सीधे प्रयुक्त होती हैं। प्रार्थी के प्रश्नगत मामले में वातानुकूलन के लिए air conditioner का प्रयोग भी निर्माण में हो रहा है। इसलिए यह भी धारा-13 के प्रयोजनार्थ Capital Goods की श्रेणी में आयेगा। refrigerated vans का सम्बन्ध निर्माण प्रक्रिया से जुड़ा नहीं है, अतः यह धारा-13 के प्रयोजनार्थ Capital Goods की श्रेणी में नहीं आयेगा।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रश्नों का उर निम्न प्रकार से दिया जा रहा है :-

प्रश्न:- (a) Whether the Vegetables subjected to the activities described above including cutting, sanitizing, packing etc. would be covered under Schedule I or II of the Act.

उर:- उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-103, 116 व 81 के अन्तर्गत आयेगी।

प्रश्न:- (b) Whether Vegetables / Paneer subjected to the activities described above including cutting, packing etc. would be treated as re-sale / sale after processing not amounting to manufacture.

उर:- (i) Vegetables की उक्त प्रकार से किया गया प्रसंस्करण निर्माण है। अतः यह निर्माण के उपरान्त “ निर्मित उत्पाद ” की बिक्री होगी।

सर्वश्री जुबिलेन्ट प्रेश प्रा0 लि0 / प्रा0पत्र सं0-002 / 13 / धारा-59 / पृष्ठ-6

(ii) Paneer की उक्त प्रकार से की गयी Processing निर्माण नहीं है। अतः यह re-sale ही होगी।

प्रश्न:- (c) Whether the Uncooked Pasta subjected to the activities described above including boiling, cooling, etc. would be covered under definition of manufacture under Section 2 (t) of the Act.

उार:- उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-2 (t) के अन्तर्गत निर्माण की श्रेणी में आयेगा।

प्रश्न:- (d) Whether VAT Credit would be available for the Capital Goods such as refrigerated vans, air conditioners etc. used for the above activities (as described above) Vegetables / Paneer / Pasta under the following:

(i) main part of the definition of Capital goods i.e. as processing not amounting to manufacture; or

(ii) the inclusive part of the definition of Capital goods i.e. as manufacture.

उार:- Vegetables / Mushroom / Pasta हेतु प्रयुक्त प्लान्ट / मशीनरी धारा-13 के प्रयोजनार्थ Capital Goods होंगी। वातानुकूलक (air conditioner) भी निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ा होने के कारण धारा-13 के प्रयोजनार्थ Capital Goods माना जायेगा। refrigerated vans का निर्माण की प्रक्रिया से कोई सम्बन्ध नहीं है अतः यह धारा-13 के प्रयोजनार्थ Capital Goods नहीं होगा।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उार उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 29 जुलाई, 2013

ह0 / 29.07.2013

(सेल्वा कुमारी जे0)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उार प्रदेश, लखनऊ।